कार्यालय प्राचार्य, चौ0 बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय, लोहारू(भिवानी)

सार्वजनिक–सूचना

दिनांकः– 16/02/2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चौ0 बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय, लोहारू में कैंटीन काउंटर (Canteen Counter) की बोली दिनांक 22/02/2024 को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय परिसर में की जाएगी। बोली के इच्छुक व्यक्ति समय पर अपने आधार कार्ड के साथ पहुंचे। बोलीदाता को मौके पर राशि 5000 रू प्रतिभूति के तौर पर जमा करवानी होगी। महाविद्यालय द्वारा कैंटीन के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

Incharge
Canteen

प्राचार्य
चौ0 बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय
लोहारू

PRINCIPAL
Ch. Bansi Lal Govt. College
LOHARU (BHIW.

चौ0 बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय, लोहारू कैंटिन कांउटर की दिनांक 22.02.2024 को बोली देने वाले व्यक्तियों के लिए निर्देश तथा शर्तेः–

1. बोली की अवधि 23/02/2024 से 22/02/2025 तक की रहेगी।
2. बोलीदाता व्यस्क होना आवश्यक है।
3. बोलीदाता को आधार कार्ड, रिहायसी प्रमाण–पत्र बोली से पहले देना होगा।
4. कैंटिन कांउटर की बोली देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राशि 5000–/ रू0 धरोहर राशि के रूप में जमा करवाने होंगे, जोकि असफल बोलीदाता को बोली के बाद वापिस किये जाएंगे। परन्तु जिस व्यक्ति के नाम ठेका छुटेगा, उस व्यक्ति के 5000–/ रू0 धरोहर के रूप में पूरा वर्ष रखे जाएंगे व वर्ष के अंत में वापिस कर दिये जाएंगे।
5. जिस व्यक्ति की बोली सबसे ज्यादा होगी उसे दिनांक 22.02,.2025 तक कैंटिन का ठेका दिया जायेगा। किन्तु सरकारी बोली सत्र 2024–25 के लिए राशि 500–/रू0 से कम नही होगी। दिनांक 23–02–2024 को ठेकेदार को कालेज की तरफ से कैंटिन सौंपी जायेगी और उसी दिन से ठेका प्रारम्भ माना जाएगा।
6. सबसे ज्यादा बोली देने वाले व्यक्ति के नाम कालेज कैंटिन कांउटर कमेटी की सिफारिश पर प्राचार्य ठेका देगा, किन्तु ठेकेदार को कालेज के द्वारा बनाये गए नियमों का शक्ति से पालन करना होगा।
7. कैंटिन कांउटर का किराया प्रति माह 5 तारीख तक अग्रिम देना होगा।
8. कालेज स्टॉफ अपनी चाय कहीं से भी मंगवाने के लिए स्वतन्त्र होगा।
9. कैंटिन कांउटर का ठेकेदार अपने जोखिम पर किसी व्यक्ति या विद्यार्थी को उधार देगा।
10. कैंटिन कांउटर पर बिकी हेतु रखा गया खाद्य, पेय पदार्थ लिखित मूल्य से अधिक नही होगी तथा गुणवता की दृष्टि से सही होगा। सभी खाद्य प्रदार्थो की दरें बाजार मूल्य से कम होगी।
11. ठेकेदार द्वारा खुद तैयार किये गए या बाजार से खरीद कर लाए गए सामान की गुणवता की जॉच तथा कीमत पर नियंत्रण कैंटिन कांउटर कमेटी एवं प्राचार्य के अधिकार में रहेगा।

12. कालेज में विभिन्न अवसरों पर जलपान आदि का प्रबंध ठेकेदार को करना होगा।
13. कैंटिन कांउटर पर कोई भी आदमी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नही करेगा। यह ठेकेदार का उतरदायित्व होगा।
14. कैंटिन कांउटर की सुरक्षा के साथ अपने माल व कालेज द्वारा दिये गए फैर्नीचर की सुरक्षा/रखरखाव का प्रबंध भी ठेकेदार का अपना होगा।
15. कालेज द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए एक वर्ष की अवधि से पहले भी बिना बताए ठेकेदार का ठेका निरस्त करने का विशेषाधिकार महाविद्यालय को होगा।
16. ऐसा कार्य जिससे प्राचार्य को लगे कि इससे कालेज का अनुशासन भंग होता हो तो ठेकेदार को बिना नोटिस दिये ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
17. बिजली के इस्तेमाल में एक पंखा, एक फ्रिज तथा एल0ई0डी0 बल्ब हेतु किया जायेगा और हर माह की 05 तारीख तक 500 रूपये बिजली खर्च देना होगा।
18. सफल बोलीदाता को कैंटिन की सफाई का काम अपने स्तर पर करना होगा।
19. सफल बोलीदाता को कैंटिन प्रारम्भ करने के लिए अधिकतम दस दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस अवधि में कैंटिन प्रारम्भ नही की जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन बोली की राशि जब्त कर लेगा एवं अगले बोलीदाता को क्रमानुसार मौका दिया जाएगा।
20. सफल बोलीदाता को 10 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमों की अनुपालना का शपथ–पत्र जमा करवाना होगा।

Incharge
Canteen

प्राचार्य
PRINCIPAL
चौ0 बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय
LOHARU (BHIWANI)
लोहारू (भिवानी)